राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(53)(एफसी) परि/नियम/मु./2014/9562 जयपुर, दिनांकः 08.05.18

**प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,**
**समस्त।**

**विषयः–** वाहन फिटनेस जांच केन्द्रो का फिजा–2018 के अनुसार उन्नयन (Upgradation) करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस जांच के लिए फिजा 2011 को संवर्धित करते हुए नयी स्कीम फिजा 2018 स्कीम कार्यालय आदेश 13/2018 दिनांक 24.04.2018 से प्रवृत्त की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य के समस्त वाहन फिटनेस जांच केन्द्र फिजा 2011 के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संचालित है। भविष्य में समस्त लेटर ऑफ ऑथोरिटी के आवेदकों को फिजा 2018 के मानदण्डो एवं अपेक्षाओं पूर्ति एवं अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

फिजा 2018 में यह भी प्रावधानित किया गया है कि विद्यमान वाहन फिटनेस जांच केन्द्रो को स्कीम के प्रभावी होने के 6 माह की समयावधि में फिजा 2011 के स्थान पर फिजा 2018 के अनुरूप उन्नत किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् भी फिजा 2018 के अनुरूप उन्नयन नहीं करने वाले फिटनेस जांच केन्द्र के लेटर ऑफ ऑथोरिटी वैध नहीं रहेगें। जिन फिटनेस केन्द्रो के लेटर ऑफ ऑथोरिटी का नवीनीकरण किया जाना लम्बित है, उसके संबंध में निर्देश है कि फिजा 2011 के मानकों की पूर्ति करने पर एवं फिजा 2018 के मानकों की 6 माह में पूर्ण अनुपालना करने की शर्त पर 6 माह की अवधि के लिये नवीनीकरण स्वीकृत किया जायेगा।

अतः आपके क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त फिटनेस जांच केन्द्रो की जांच हेतु तकनीकी योग्यता धारक तथा इस हेतु प्रशिक्षित जांच दल का गठन कर प्रत्येक फिटनेस केन्द्र का फिजा 2011 से फिजा 2018 की मूलभूत आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं के समस्त मानदण्डों एवं अपेक्षाओं का अन्तर विश्लेषण (Gap analysis) करते हुए वर्तमान स्थिति तथा पाये गये अन्तर का सम्पूर्ण चार्ट टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट तैयार कराकर मुख्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करेंगें।

उपरोक्त आशय की अन्तर विश्लेषण रिपोर्ट समस्त फिटनेस जांच केन्द्र के लेटर ऑफ ऑथेरिटी धारको को पत्र के माध्यम से व्यक्तिशः तामिल/सूचित करायी जायेगी, जिसमें उन्हें सभी मानदण्डो एवं अपेक्षाओ जिनका उल्लेख अन्तर विश्लेषण रिपोर्ट में है, को स्कीम जारी होने के 6 माह के भीतर अर्थात् 31.10.2018 तक पूर्ण कर पुनः फिजा 2018 के मानदण्डो एवं अपेक्षाओं के अनुरूप जांच कराने हेतु आदेशित किया जायेगा। तय समय सीमा में फिजा 2018 के मानदण्डो एवं अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करने वाले फिटनेस जांच केन्द्र के लेटर ऑफ ऑथोरिटी को दिनांक 31.10.2018 के पश्चात् निलंबित समझे जायेगें। तत्पश्चात् ऐसे निलंबित फिटनेस जांच केन्द्रो के लेटर ऑफ ऑथोरिटी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निरस्त कर दिया जाएगा।

आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव